समाचार–प्रकाशनार्थ :–

स्पॉट फाईन दल के 4 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त

रतलाम 02 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल के कर्मचारी पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, मनोज झांझोट व राकेश ललावत द्वारा खुले में कचरा डालने वाले नागरिक, दुकानदार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने साथ 2 माह पूर्व सिंगल यूज प्लास्टिक व 75 मॉईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन प्रतिबंधित किये जाने के बाद भी उनके भण्डारण, विक्रय करने वाले दुकादारों पर भी कोई प्रभावी कायवाहीं नहीं करने पर सेवा से बर्खास्त किया गया।

धरती को स्वच्छ व सुरक्षित बनाए

नगर निगम ने विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया वर्ल्ड वेटलैंड डे

रतलाम 02 फरवरी । हमारे सौरमंडल में केवल धरती ही ऐसा ग्रह है, जहां जीवन है, जहां नदी, झरने, पहाड़, वन, अनेक जंतु प्रजातियां हैं और जहां हम सब मनुष्य भी हैं। लेकिन हम सब की लालच और लापरवाही ने ना केवल दूसरी जीव प्रजातियों के लिए बल्कि खुद अपने लिए और संपूर्ण धरती के लिए संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में पृथ्वी दिवस जैसे आयोजन हमें जागरूक करने के लिए जरूरी हैं। आइए इस पृथ्वी दिवस पर हम धरती की पुकार सुनें और इसे स्वच्छ–सुरक्षित बनाए रखने में अपना भरपूर योगदान दें

उक्त विचार भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा ने नगर निगम द्वारा विश्व आद भूमि दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होने शहर के प्राचीन अमृतसागर तालाब के जीर्णोद्वार के लिए नगर निगम प्रशासन को शुभकामनाए भी दी।

अमृतसागर उद्यान में विश्व आद्र भूमि दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, उत्कृष्ट विद्यालय के प्रार्चाय सुभाष कुमावत,पर्यावरणविद् खुशालसिंह पुरोहित, नगर निगम परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक पोरवाल विशेष रुप से उपस्थित रहे।

स्वागत भाषण नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने देते हुए विश्व आद भूमि दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों और पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होने अमृत सागर जीर्णोद्वार से जुड़ी योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए आने वाले कुछ माह में अमृतसागर तालाब प्रदेश में ख्याती प्राप्त करेगा।

उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री सुभाष कुमावत ने कहां कि विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में केस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।

उन्होने कहा कि वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होता हैं और जो शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार घटता जा रहा है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं।

पर्यावरणविद् श्री खुशालसिंह पुरोहित ने कहां विश्व आद भूमि दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहां कि आर्द्र भूमि सहेजने की शुरूआत ईरान में आयोजित सम्मेलन से हुई। भोपाल का भोज तालाब वेंटलैंड है इसी प्रकार से हमारे रतलाम में अमृत सागर तालाब वेंटलैंड है इसके जीर्णोद्धार तो नगर निगम कर ही रही है हमें भी इसे सहेजने में अपना योगदान देना है।

पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने कहा कि पृथ्वी पर जीवों के विकास की एक लम्बी कहानी है और इस कहानी का सार यह है कि धरती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है अपितु इसके विभिन्न भागों में विद्यमान करोड़ो प्रजातियों का भी इस पर उतना ही अधिका है जितना कि हमारा इसलिये धरती को सहेजना है।

क्विज और परिचर्चा में छात्र–छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

विश्व वेटलेंड दिवस पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के तहत अमृत सागर थीम पर केन्द्रीत सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, पारम्परिक महत्व पर आधारित संगोष्ठी, परिचर्चा, क्विज आदि के आयोजन किए गए थे। इसके तहत उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र–छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। यहां आयोजित क्विज प्रतियोगिता में संजना मोयल, रोहित यादव और मनीष भरावत ने श्रेष्ठ प्रस्तुति देकर पुरुस्कार प्राप्त किया। इसी तरह परिचर्चा में मनीषा भरावत और धीरज यादव ने पुरुस्कार प्राप्त किया। अन्य प्रतियोगियों को भी प्रमाण पत्र भेंट किए गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंग जमा

इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक आयोजन में देशभक्ति व स्वच्छता से जुड़े गीतों की प्रस्तुति दी गई। यहां निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान सहित अन्य गायक कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दे कर समा बांधे रखा। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता गीत का विमोचन भी किया गया।

आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, पूर्व पार्षद श्री प्रहलाद पटेल, श्रीमती सोना शर्मा, मंडल अध्यक्ष श्री कृष्णकुमार सोनी, प्‍र्व क्षेत्रिय पार्षद प्रतिनिधि श्री राकेश मीणा, ब्रांड एम्बेसेडर श्री अनुज शर्मा, श्रीमती दिव्या पाटीदार जोशी, निगम अधिकारी एवं कर्मचारी, नागरिक व स्कूली विद्यार्थी उपस्थित थे।

बसंत पंचमी रतलाम स्थापना दिवस (नगर गौरव दिवस) रतलाम स्थापना महोत्सव समिति व नगर निगम द्वारा तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन

रतलाम 2 फरवरी । रतलाम स्थापना महोत्वस समिति की बैठक 1 फरवरी को समिति के संस्थापक व समिति संयोजक श्री मुन्नालाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी बसंत पंचमी रतलाम स्थापना दिवस पर समिति द्वारा तीन दिवसीय कार्यक्रम कर रतलाम स्थापना दिवस को नगर गौरव दिवस के रूप में मनाने पर सर्वानुमति से विचार–विमर्श किया गया।

उक्त जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष श्री प्रवीण सोनी, सचिव श्री मंगल लोढ़ा ने बताया कि रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा बसंत पंचमी पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसके तहत 3 फरवरी गुरूवार को सांय 07:00 बजे रतलाम राज्य के जनक महाराजा रतनसिंह जी द्वारा स्थापित रत्नेश्वर महादेव मंदिर रत्नेश्वर रोड पर महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण कर रतलाम स्थापना का शुभारंम किया

जाएगा। इसी तरह 4 फरवरी शुक्रवार रतलाम स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सांयः 7:30 से 8:30 बजे तक नगर के विभिन्न चौराहों पर आर्कषक आतिशबाजो की जावेगी।

5 फरवरी शनिवार को बसंत पंचमी रतलाम स्थापना दिवस को नगर गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए नगर निगम तिराहे पर स्थापित रतलाम राज्य के जनक महाराजा रतनसिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन कर रतलाम स्थापना से आज तक पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जायेगा व आतिशबाजी कर मिठाई वितरण नगर निगम रतलाम व रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जायेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप होंगे। सांय 6:30 बजे गुलाब चक्कर में रतलाम स्थापना दिवस (नगर गौरव दिवस) के रूप में मनाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

आयोजित बैठक में समिति के सदस्य प्रदीप उपाध्याय, मोहनलाल धभाई, संतोश पोरवाल, गोपाल शर्मा, आदित्य डागा, राजेश कटारिया, सूरज जाट, प्रहलाद पटेल, भगतसिंह भदौरिया, पप्पू पुरोहित, राजेश रांका, रमेश पांचाल, राकेश परमार, सुनील माली, अशोक यादव, राजेश माहेश्वरी, रजनीश गोयल, पंडित राजू हॉकी, रामचन्द्र डोई, ईश्वर रजवाडिया, महेन्द्र मूणत, ठाकुर सुरेशचन्द्र चावड़ा, लक्ष्मीनाराण गेहलोत, हितेश कामरेड, हितेश सोलंकी, विनोद राठौर, सुनील रांका, मुरलीधर गुर्जर, विशाल अग्रवाल, विक्रम गुर्जर गट्टू, जोन्टी गुर्जर, श्याम सोनी, प्रकाश धभाइ, तेजपाल रेडा, बालमुकुन्द चावड़ा, असीम व्यास, राकेश परमार, मुकेश व्यास लालू, नागूसिंह, मुकेश पंड्या, नवीन बैरागी, सत्यनाराण भाटी, कमलसिंह चौहान, प्रहलाद माली, मंगलेश गुर्जर, ओमप्रकाश मकवाना, विशाल चावड़ा, प्रकाश प्रजापति आदि उपस्थित थे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 11.14 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 02 फरवरो । संपत्तिकर, जलकर, लायसंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 02 फरवरी बुधवार को कुल राशि रूपये 11,41,274/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 02 फरवरी बुधवार को संपत्तिकर शिविर से 119587, कार्यालय 382462, वसूली दल 56884 कुल 558933, जलकर शिविर 81770, वसूली दल 64145, कार्यालय 371484 कुल 517399, कम्पाउडिंग 31580, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 8739 व वसूली दल 21523 कुल 30262, बगैर मास्क वालो पर स्पॉट फाईन 1700, गंदगी करने पर 1400 इस तरह कुल राशि रूपये 11,41,274/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

रतलाम 02 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

धानमण्डी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 62.1 लाख व जलकर 14 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 02 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/– व जलकर 54,850/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/– व जलकर 34,520/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/– व जलकर 63,450/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/– व जलकर 1,19,720/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/– व जलकर 62,950/–, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/– व जलकर 28,870/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/– व जलकर 14,000/–, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/– व जलकर 1,04,640/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/– व जलकर 1,21,090/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/– व जलकर 47,000/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/– व जलकर 83,700/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/– व जलकर 27,540/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/– व जलकर 40,240/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/– व जलकर 31,760/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/– व जलकर 72,440/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/– व जलकर 37,465/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/– व जलकर 36,660/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/– व जलकर 92,125/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/– व जलकर 64,770/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/– व जलकर 28,140/–, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/– व जलकर 1,56,600/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,42,868/– व जलकर 1,20,940/– की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 3 फरवरी को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

9211 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 02 फरवरी । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 02 फरवरी तक 9211 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 92.11 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

02 फरवरी को 81 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 02 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 02 फरवरी बुधवार को 81 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

02 फरवरी बुधवार को डम्पर से 29965, ट्रेक्टर से 16500, काम्पेक्टर सूखा कचरा 16810 व काम्पेक्टर गीला कचरा 18275 किलो इस तरह कुल 81550 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

3091 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 02 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 193 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 102 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 02 फरवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निदशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 02 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 02.02.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.